08.2.18 वादी के अधिवक्ता उपस्थित
प्रति० के अधिवक्ता उपस्थित।
वादी / प्रार्थी के अधिवक्ता ने
प्रा०पत्र O23 R1(क) CPC प्रस्तुत कर
वादी का वाद वापिस लौटाया जाकर
पुनः दूसरा वाद पेश करने की अनुमति
प्रदान करने की अनुमति चाही है।
प्रा०पत्र की नकल वकील प्रति०
को दी गई।
प्रा०पत्र पर उभय पक्ष को सुना
पत्रावली का अवलोकन किया।
बाद गौर वादी / प्रार्थी का
प्रा०पत्र O23 R1(क) CPC स्वीकार
किया जाकर वादी का वाद लौटाये
जाने एवं पुनः दूसरा वाद प्रस्तुत करने की
अनुमति प्रदान की जाती है।
पत्रावली तदानुसार निर्णीत होकर बाद तकमील
दाखिल रिकार्ड करायी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)